



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10587

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44658/2025

अकबर खान

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: संजय, विनोद कुमार मौर्य

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के अधिवक्ता को दिन की कार्यवाही के दौरान अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रथम, वाराणसी मंडल, वाराणसी को पक्षकारों की श्रेणी में प्रत्यर्थी संख्या 10 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2- उप जिलाधिकारी, तहसील-मछलीशहर, जिला जौनपुर के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 7284/2024, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202414360307284 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त कार्यवाही में याची के पक्ष में दिनांक 25.02.2025 को एक आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश के अनुपालन के लिए याची द्वारा दिनांक 05.03.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। चूँकि उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए याची ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
3. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याची के पक्ष में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 25.02.2025 से व्यथित होकर निजी प्रत्यर्थियों, अर्थात ओम प्रकाश आदि ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के तहत अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रथम, वाराणसी मंडल, वाराणसी के समक्ष एक अपील दायर की है, जो अभी भी विचाराधीन है।
4. इस मामले में याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन अपील के साथ दायर स्थगन आवेदन (स्टे एप्लीकेशन) पहले ही खारिज कर दिया गया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपने स्वयं के आदेश दिनांक 25.02.2025 का अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब उपरोक्त आदेश के विरुद्ध निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है, तो इस रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

6. इस समय, याची के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रथम, वाराणसी मंडल, वाराणसी को निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील संख्या 1275/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202514000001275 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
7. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी को सुना।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में भी, प्रत्यर्थी संख्या 10- अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रथम, वाराणसी मंडल, वाराणसी को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त अपील को कानून के अनुसार सख्ती से, अति शीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने के भीतर तय करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

16 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"